छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा सप्तम सत्र अंक-04

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त, 2020

(भाद्रपद 6, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 (कुल 18) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(प्रश्नों का प्रथम चक्र पूरा हो गया है और समय शेष है । मैं प्रथम चक्र में अनुपस्थित सदस्यों के नाम पुकारूंगा । उपस्थित सदस्य अनुपूरक प्रश्न कर सकेंगे ।)

तारांकित प्रश्न संख्या 12 एवं 15 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री मोहित राम, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 02, 11, 19, 21, 22, 23, 25, के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री अनूप नाग, ननकीराम कंवर, लालजीत सिंह राठिया, डॉ.रमन सिंह, श्री आशीष कुमार छाबड़ा, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्री अमितेश शुक्ला, अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 15 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शिवरतन शर्मा के स्थान पर श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 55 तारांकित एवं 75 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू एवं श्री अजय चन्द्राकर द्वारा प्रश्न के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 01),

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 02),

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम,सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-25/15-2/2020/2, दिनांक 17 अगस्त, 2020, तथा

(5) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-2019,

पटल पर रखे ।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

4. स्थगन प्रस्ताव

मानवीय उपाध्यक्ष ने प्रदेश के किसानों को अमानक खाद, बीज एवं रासायनिक दवाईयों के वितरण के संबंध में 15 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय उपाध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 25 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

माननीय उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि 01 से 02 तक की सूचना ली जावेगी ।

6. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(1) डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने बिलासपुर जिले के बेलगहना क्षेत्र अंतर्गत चाटापारा एनीकट निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यानाकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, सदस्य ने प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
3.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
4.	सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर,
5.	श्री सत्यनारायण शर्मा
6.	श्री देवव्रत सिंह
7.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल,
8.	श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, श्री अजय चन्द्राकर
9.	सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल
10.	श्री संतराम नेताम
11.	श्री संतराम नेताम
12.	श्री नारायण चंदेल
13.	श्री सौरभ सिंह
14.	श्री धरमलाल कौशिक

15. सर्वश्री सौरभ सिंह, धरमलाल कौशिक, लालजीत सिंह राठिया
16. श्री सत्यनारायण शर्मा
17. श्री बृहस्पत सिंह
18. श्री बघेल लखेश्वर
19. डॉ. रेणु अजीत जोगी
20. श्री बृजमोहन अग्रवाल
21. श्री धर्मजीत सिंह
22. डॉ. प्रीतम राम
23. श्री रजनीश कुमार सिंह
24. श्री दलेश्वर साहू

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री सौरभ सिंह
2. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
3. श्री रजनीश कुमार सिंह
4. श्री धरमलाल कौशिक
5. श्री पुन्नूलाल मोहले
6. डॉ.रमन सिंह
7. श्री संतराम नेताम
8. श्री बृजमोहन अग्रवाल
9. श्री मोहित राम

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(2) श्रीमती इन्दू बंजारे

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण(संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 17 सन् 2020)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020)

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, देवेन्द्र यादव,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद 5 (2) का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री शैलेष पाण्डेय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(1.40 बजे से 3.00 बजे तक अन्तराल)

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

(3) **छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020)**

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर,

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी(संशोधन) विधेयक, 2020(क्रमांक 20 सन् 2020)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, अजय चन्द्राकर, मोहन मरकाम,

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(5)छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) (क्रमांक 21 सन् 2020)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शैलेष पाण्डेय, अजय चन्द्राकर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवेन्द्र यादव, रजनीश कुमार सिंह, मोहन मरकाम,

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त जानकारी दी ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(6) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

11.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अंतर्गत शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संपादन के लिए निर्धारित है । आज की कार्यसूची में शामिल कार्यों के पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है तथा तद्नुसार अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्यों के लिए निर्धारित किये जाते हैं ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य(क्रमश:)

श्रीमती ममता चन्द्राकर,

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन)विधेयक, 2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक,2020(क्रमांक 23 सन् 2020)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 व इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(8) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 24 सन् 2020)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(9) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 25 सन् 2020)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(10) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 26 सन् 2020)

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(11) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह,

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

13. संकल्प

छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवी अनुसूची में शामिल करने बाबत्

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि- "यह सदन, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं

अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे" एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.रमन सिंह,

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

14.नियम 139 के अधीन चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा आगामी सत्र में ली जावेगी ।

15.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम कल दिनांक 29 अगस्त 2020 को नवा रायपुर, अटल नगर में दोपहर 12.00 बजे रखा गया है । आप सभी माननीय सदस्य एवं पत्रकार साथियों को इस कार्यक्रम में पहुंचने हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं । आप सभी माननीय सदस्यों को पृथक रूप से कार्ड भी वितरित किये जा रहे हैं ।

16. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 26 अगस्त, 2020 को माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से संसदीय सचिवों को प्रदत्त

अधिकारों, कर्तव्यों एवं सभा में परिचय आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं नेता प्रतिपक्ष जी ने भी अपने विचार व्यक्त किये थे। तत्समय मैंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी। व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में विधि मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की थी। इस सम्बन्ध में मेरी व्यवस्था इस प्रकार है :-

"पूर्व में भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई है और कभी भी संसदीय सचिवों का सभा से परिचय नहीं कराया गया है। जहां तक उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आने के पूर्व तक संसदीय सचिव, मंत्री की अनुपस्थिति में या मंत्री की ओर से सदन में उत्तर देते थे। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश आने के बाद से चूंकि वे मंत्री नहीं हैं, इसलिये संसदीय सचिव द्वारा सदन में उत्तर नहीं दिये जा रहे हैं और वही स्थिति वर्तमान में भी लागू है। शासन स्तर पर संसदीय सचिव के क्या अधिकार और कर्तव्य है, इस सम्बन्ध में राज्य शासन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथा समय स्थिति स्पष्ट करें।"

17. समितियों का निर्वाचन

प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, लोक लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्विरोध निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, लोक लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए 2020-21 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, वह इस प्रकार है :-

प्राक्कलन समिति

1. डॉ. विनय जायसवाल
2. श्री विनय कुमार भगत

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

1. श्री शैलेष पाण्डेय
2. श्रीमती छन्नी चंदू साहू

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, लोक लेखा समिति

1. श्री देवेन्द्र यादव
2. श्री राजमन बेंजाम

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी समिति

1. श्रीमती संगीता सिन्हा
2. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
3. श्री राजमन बेंजाम

18. नाम-निर्देशित समितियों में रिक्त स्थानों पर वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिये नाम-निर्देशन

माननीय अध्यक्ष ने वर्ष 2020-21 के लिए गठित निम्नांकित समितियों में रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति हेतु विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में सेवा करने के लिये निम्नांकित माननीय सदस्यों को नियुक्त किया :-

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

1. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
2. श्रीमती छन्नी चंदू साहू
3. श्री संतराम नेताम

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री बृहस्पत सिंह
2. श्री विक्रम मंडावी

याचिका समिति

1. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
2. श्री संतराम नेताम

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
2. श्री शैलेष पाण्डेय

विशेषाधिकार समिति

1. श्री आशीष कुमार छाबड़ा

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री देवेन्द्र यादव
2. श्रीमती देवती कर्मा

पुस्तकालय समिति

1. श्रीमती ममता चन्द्राकर

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री विक्रम मंडावी

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री अनूप नाग
2. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा

आचरण समिति

1. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू

19. नियम-169 के अन्तर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री धर्मजीत सिंह सदस्य द्वारा श्री ए.पी. त्रिपाठी, प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट मॉर्केटिंग कार्पोरेशन लि. के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 08/2019 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया है ।

20. नियम-239 के अन्तर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020 मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

21. नियम-167(1) के अन्तर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

(1) माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल एवं शिवरतन शर्मा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 13/2020 दिनांक 02 मार्च, 2020,

(2) माननीय सदस्य सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा एवं अन्य 18 माननीय सदस्यों द्वारा माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री अजय चन्द्राकर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 14/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020,

(3) माननीय सदस्य श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय एवं अन्य 07 माननीय सदस्यों द्वारा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा(लखौली आरंग)के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 15/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020,

(4) माननीय सदस्य श्री कुलदीप जुनेजा एवं श्री मोहित राम द्वारा माननीय श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री डमरूधर पुजारी के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 16/2020 दिनांक 16 मार्च, 2020,

(5) माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक एवं अन्य 11 माननीय सदस्यों के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 17/2020 दिनांक 18 मार्च, 2020,

(6) माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री सौरभ सिंह द्वारा माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 18/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020,

(7) माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक, सिविल लाईन्स, रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 20/2020 दिनांक 23 अगस्त, 2020,

(8) माननीय श्री अजय चन्द्राकर एवं अन्य दो माननीय सदस्यों द्वारा माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 21/2020 दिनांक 25 अगस्त, 2020,

(9) माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक,सिविल लाईन्स, रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 22/2020 दिनांक 25 अगस्त, 2020,

को मैंने विचारोपरान्त अपने कक्ष में अग्राहय कर दिया है ।

22 .सत्र समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

पंचम विधान सभा के सप्तम सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है । सत्र के संचालन में सहयोग के लिये सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं सभी माननीय मंत्रिगण, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

यह सत्र कई मायनों में कुछ अलग अनुभव देने वाला रहा, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी (कोविड-19) के संक्रमण के प्रभाव से गुजर रहा है। हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि हमारी छत्तीसगढ़ विधान सभा ने राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट की घड़ी में पूर्ण सजगता और समर्पण के साथ योगदान दिया है। कोरोना महामारी लॉकडाउन की अवधि में छत्तीसगढ़ विधान सभा में कोविड कंट्रोल रूम की स्थापना की गयी और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के सात हजार एक सौ अट्ठासी व्यक्तियों को जो दूसरे राज्यों में फँसे थे और अन्य राज्यों के छत्तीसगढ़ राज्य में फँसे तीन सौ उन्चास पीड़ित जरूरतमंदों की समस्याओं के समाधान हेतु समन्वय किया गया।

इस विषम परिस्थिति में सत्र के आहूत होने से हम एक सकारात्मक संदेश दे पाने में सफल रहे कि किसी भी चुनौती और संकट का मुकाबला करने के लिए मनोबल का बने रहना अत्यंत आवश्यक है और इन विपरीत परिस्थितियों में सत्र आहूत कर और उसे सफलतापूर्वक सम्पन्न कर पाने में आप सबने जिस कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है, इससे कोविड-19 के विरूद्ध संघर्ष करने वाले प्रत्येक व्यक्ति संस्था, समूह और संगठनों को एक नई ऊर्जा मिली है, उनका मनोबल बढ़ा है, जो कि कोरोना महामारी से संघर्ष के लिए आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

विधान सभा की कार्यवाही जनता तक पहुंच सके इसलिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथियों के लिए विशेष रूप से ऑडियोटोरियम में कार्यवाही के प्रसारण की व्यवस्था की गयी। सभा भवन में प्रवेश के पूर्व माननीय सदस्यों के ऑक्सिजन लेवल एवं टेम्प्रेचर की जांच की गयी। सभा भवन को संक्रमण से मुक्त बनाने के लिए एंटीबैक्टीरियल सरफेस कोटिंग करायी गयी। सत्र काल में शासकीय और सुरक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों की

उपस्थिति कम से कम हो यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ विधान सभा ने सीमित समय में कोरोना (कोविड-19) से सुरक्षा के उपायों को अपनाते हुए, सुव्यवस्थित सत्र संचालन की व्यवस्थाओं को मूर्त स्वरूप दिया है।

सत्र समापन के अवसर पर मैं अपनी ओर से और समवेत सदन की ओर से हमारे कोरोना वारियर्स डॉक्टर, नर्स, कम्पाउंडर अन्य चिकित्सा स्टॉफ, पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं, शासन-प्रशासन के अधिकारीगण और वे सभी जन जिन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के संकट काल में पीड़ित और जरूरतमंदों की सेवा की हैं, उन सबके प्रति साधुवाद प्रेषित करता हूँ, यह सदन उनके इस योगदान के प्रति कृतज्ञ है।

कोरोना महामारी के संक्रमण से अपने छत्तीसगढ़ राज्य को हम और अधिक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इस मानसून सत्र में प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये, स्थगन प्रस्ताव की ग्राहता पर 5 घंटे चर्चा हुई, चर्चा से यह निष्कर्ष स्थापित हुआ कि राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के चलते पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की प्रतिक्रियाओं में भले ही विभिन्नता हो परन्तु सभी की भावना छत्तीसगढ़ राज्य को सुरक्षित खुशहाल बनाये रखने की है और आप सभी इसके लिए संकल्पित हैं। लोकहित और सर्वकल्याण की आपकी इस सामूहिक भावना को इस सदन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि इस सत्र में इस विपदा के अलावा प्रत्येक उस विषय पर चर्चा हुई, जो छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतरी के लिए आवश्यक है।

अब मैं आपको इस सत्र में सम्पादित कार्यों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र की कुल 04 बैठकों में लगभग 24 घंटे 57 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 304 एवं अतारांकित प्रश्नों की 275 इस प्रकार कुल 579 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें से 42 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये । ध्यानाकर्षण की कुल 221 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 57 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 33 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित की गई । स्थगन की कुल 101 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से एक विषय से संबंधित 17 सूचनाओं को ग्राह्य कर चर्चा करायी गयी एवं एक विषय से संबंधित 14 सूचनाओं पर सदन में ग्राह्यता की चर्चा उपरांत अग्राह्य किया गया तथा एक विषय से संबंधित 15 सूचनाओं को सदन में पढ़ने एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अग्राह्य किया गया । शून्यकाल की 41 सूचनाएँ प्राप्त हुईं जिसमें से 34 सूचनाएं ग्राह्य और 7 सूचनाएं अग्राह्य रही। माननीय सदस्यों द्वारा 58 याचिकायें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 21 ग्राह्य रही।

इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 12 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरांत पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 3 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई ।

राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की लोक-संस्कृति, लोक-संस्कार और लोक-भाषा के सम्मान, संवर्धन हेतु निरंतर प्रयत्नशील है । इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजभाषा छत्तीसगढ़ी को संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु संकल्प रखा जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । आप सभी माननीय सदस्यों की राजभाषा छत्तीसगढ़ी के प्रति सम्मान की यह भावना ही छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होगी ।

आज सदन को मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि कल शनिवार, दिनांक 29 अगस्त 2020 को हमारी छत्तीसगढ़ विधान सभा के नये विधान सभा भवन का शिलान्यास नवा रायपुर, अटल नगर में होगा । इसके साथ ही आज मेरे कक्ष में विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका ''विधायन'' का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में किया गया । विधायन का यह अंक ''पर्यावरण संरक्षण'' पर केन्द्रित है । इसके अतिरिक्त आज ही छत्तीसगढ़ विधान सभा पर केन्द्रित एक लघु वृत्तचित्र की वीडियो सीडी भी जारी की गयी है ।

इस अवसर पर मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता श्री धर्मजीत सिंह एवं बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री केशव प्रसाद चंद्रा के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ समस्त स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने एक विशेष रूप से किट प्रदाय की है, जो हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।

इस पावस सत्र समापन के अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं

कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस पावस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परंपरा रही है तद्नुसार पंचम विधानसभा का अष्ठम सत्र दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है। आईये हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

धन्यवाद !

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य एवं श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने भी उद्गार व्यक्त किये।

23. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई)

(रात्रि 8.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा